


(TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA PART II, SECTION 4)  
GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF DEFENCE

NOTIFICATION New Delhi, the 04-07-2011

S.R.O. .- In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Coast Guard Organisation (Civilian Motor Transport Drivers) Recruitment Rules, 2007, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Civilian Motor Transport Driver Grade-I, Civilian Motor Transport Driver Grade-II and Civilian Motor Transport Driver 'Ordinary Grade' in Coast Guard Organisation, Ministry of Defence, namely:-

1. Short title and commencement .- (1) These rules may be called the Coast Guard Organisation (Civilian Motor Transport Drivers) Group 'C' Posts Recruitment Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and scale of pay .- The number of the said posts, their classification and the pay band and grade pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, and qualification, etc. - The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

4. Disqualification .- No person,-  
(b) who has entered into or contracted a marriage with a person having  
a spouse living; or  
(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a  
marriage with any person, shall be eligible for appointment to any of the  
said Posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such  
marriage is permissible under the personal law applicable to such person and  
the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing,  
exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax .-Where the Central Government is of the opinion that it  
is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be  
recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to  
any class or category of persons.

6. Saving .- Nothing in these rules shall effect reservations, relaxation of  
age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled  
Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of  
persons in accordance with the orders issued by the Central Government from  
time to time in this regard.

## SCHEDULE

Name of the Post	No. of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay/Pay Scale	Whether selection post or non-selection posts	Whether benefits of added years of service admissible under rule 30 of Central Civil Services (Pensions) Rules, 1972
1	2	3	4	5	6
1. * Civilian Motor Transport Driver ('Grade-I')	75 * (2011) * Subject to variation dependent on workload	General Central Service Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-1 Rs. 5200-20200+ Grade Pay Rs. 2800	Selection	Not applicable

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or by absorption and percentage of the vacancies to be filled up by various methods
7	8	9	10	11
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Promotion failing which by deputation

In . case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
12	13	14
<p><b>Promotion:-</b>  Civilian Motor Transport Driver Grade II with five years' regular service in the grade or Civilian Motor Transport Driver Grade II with thirteen years' combined regular service in the grades of Civilian Motor Transport Driver Grade II and Civilian Motor Transport Driver Ordinary Grade subject to passing of a trade test.</p> <p><b>Note:-</b>  Where juniors who have completed their qualifying/ eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of requisite qualifying/ eligibility service by more than half of such qualifying/ eligibility service or two years whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.</p> <p><b>Note:</b> For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1-1-2006/the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay / pay scale extended based on the recommendations of the Commission.</p> <p><b>Deputation:-</b>  Civilian Motor Transport Drivers working in other Central Government departments/Offices and holding:-</p> <p>(i) analogous post on regular basis: or</p>	<p><b>Group "C" Departmental Promotion Committee for promotion consisting of: -</b></p> <p>1. Commandant or Commandant (Junior Grade) (Technical)  - Chairman</p> <p>2. Two officers in the rank of Civilian Staff Officer  -Members</p>	<p>Consultation with Union Public Service Commission not necessary</p>

<p>(ii) With five years regular service rendered thereto after appointment in the parent cadre/department as Civilian Motor Transport Driver Grade II in Pay Band-1(Rs. 5200-20200+ Grade Pay Rs. 2400)</p> <p><b>Note:-</b> Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation/ department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment on deputation shall be, not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.</p> <p><b>Note :-</b> For purposes of appointment on deputation/ absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1-1-2006/ the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay /pay scale extended based on the recommendations of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay/pay scale, and where this benefit will extend only for the post for which that grade pay/ pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.</p>		
--	--	--

1	2	3	4	5	6
2., Civilian Motor Transport Driver ('Grade- II')	64* (2011)  *Subject to variation dependent on workload	General Central Service Group 'C' ,Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-1 Rs. 5200-20200+ Grade Pay Rs. 2400	Selection	Not applicable

7	8	9	10	11
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable	Not applicable	By Promotion failing which by deputation

12	13	14
<p><b>Promotion:</b> Civilian Motor Transport Driver Ordinary Grade with eight years' regular service in the grade and who pass trade test for driving heavy vehicles.</p> <p><b>Note:-</b> Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.</p> <p><b>Note:</b> For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1-1-2006/ the date from which the revised pay structure based on the Sixth CPC recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay / pay scale extended based on the recommendations of the Commission.</p> <p><b>Deputation:-</b> Civilian Motor Transport Drivers working in other central Government departments/offices and holding:- (i) analogous post on regular basis: or (ii) with eight years' regular service rendered thereto after appointment in the parent cadre/department as Civilian Motor Transport Driver Ordinary Grade in PB-1 (Rs. 5200-20200+ Grade Pay 1900/-).</p> <p><b>Note:-</b> Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation/ department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment on deputation shall be, not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.</p> <p><b>Note :-</b> For purposes of appointment on deputation/ absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1-1-2006/ the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been</p>	<p><b>Group "C" Departmental Promotion Committee for promotion consisting of: -</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Commandant or Commandant (Junior Grade)(Technical) - Chairman</li> <li>2. Two officers in the rank of Civilian Staff Officer -Members</li> </ol>	<p>Consultation with Union Public Service Commission not necessary.</p>

extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay /pay scale extended based on the recommendations of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay/pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay/ pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.		
--	--	--


1	2	3	4	5	6
3. Civilian Motor Transport Driver ('Ordinary Grade')	70* (2011) (including Training Drafting and Leave Reserve)  *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Pay Band-1 Rs. 5200-20200+ Grade Pay Rs. 1900.	Not applicable.	Not applicable.

7	8	9	10	11
18 to 27 years. (Relaxable for Government Servant, Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Class candidates as per Government instructions issued from time to time). <b>Note1:-</b> The crucial date for determining age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates except those the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya,	<b>Essential:-</b> (a) 10 <sup>th</sup> Standard pass. (b) Must possess valid driving license for both heavy and light Motor Vehicles. (c) Should have at least two years experience in driving Motor Vehicles. (d) Knowledge of motor mechanism (should be able to remove minor defects in vehicles). <b>Note:-</b> The qualifications regarding experience is /are relaxable for persons, to be recorded, in writing, at the discretion of the competent authority in	Not applicable	Two years.	By direct recruitment.

<p>Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh division of Jammu and Kashmir state, Lahaul and Spiti District and Pangi sub-division of chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshdweep.</p> <p><b>Note 2.-</b> In respect of posts, the appointment to which are made through the Employment Exchanges, crucial date for determining the age limit shall, in each case, be the last date upto which the Employment Exchanges are asked to submit names.</p>	<p>the case of candidates belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes, if at any stage of selection the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</p>			
--	---	--	--	--

12	13	14
Not applicable	<p><b>Group "C" Departmental Committee (for confirmation) consisting of :-</b></p> <p>1. Commandant or Commandant(Junior Grade)(Technical) - Chairman</p> <p>2. Two officers in the rank of Civilian Staff Officer - Members</p>	<p>Consultation with Union Public Service Commission not necessary.</p>

[File No : CP/0601/CMTD/ 1305 /D(CG-R)/11]

  
 (Sanjay Kumar Ojha)  
 Director(Navy-II)



(भारत के राजपत्र, भाग-2, खंड 4 में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, तारीख..... 04-07-2011

### अधिसूचना

का.नि.आ....52...राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और तटरक्षक संगठन (सिविलियन मोटर परिवहन चालक) भर्ती नियम, 2007 को उन बातों के सिवाए अधिकांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, तटरक्षक संगठन, रक्षा मंत्रालय में सिविलियन मोटर परिवहन चालक श्रेणी-I, सिविलियन मोटर परिवहन चालक श्रेणी-II और सिविलियन मोटर परिवहन चालक "साधारण श्रेणी" के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं; अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** —(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम तटरक्षक संगठन (सिविलियन मोटर परिवहन चालक) समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2011 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान** : उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि** : उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में

विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता : वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों में से किसी भी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति: इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

## अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. सिविलियन मोटर परिवहन चालक (श्रेणी-I)	75* (2011)  *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1  5200-20200रू.+ ग्रेड वेतन 2800रू.	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो।
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियों जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।
(11)	(12)
प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	<p><b>प्रोन्नति:-</b> ऐसे सिविलियन मोटर परिवहन चालक श्रेणी-II जिन्होंने श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है या ऐसे सिविलियन मोटर परिवहन चालक श्रेणी-II जिन्होंने सिविलियन मोटर परिवहन चालक, श्रेणी-II और सिविलियन मोटर परिवहन चालक साधारण श्रेणी में संयुक्त रूप से तेरह वर्ष नियमित सेवा, व्यवसाय परीक्षण के उत्तीर्ण करने के अधीन रहते हुए, की है।</p> <p><b>टिप्पण:-</b> जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, की प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी</p>

विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।

**टिप्पण:-** प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हता की गणना के प्रयोजन के लिए 1-1-2006/वह तारीख जिसे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है, से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा, आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन/वेतन में की गई सेवा समझी जाएगी ।

**प्रतिनियुक्ति:-** केंद्रीय सरकार के अन्य विभागों/कार्यालयों में कार्यरत ऐसे सिविलियन मोटर परिवहन चालक जो-

(i) नियमित आधार पद सदृश पद धारण कर रहे हैं,

(ii) मूल काडर या विभाग में इस पर नियुक्ति के पश्चात वेतन बैंड-I, (5200-20200 रु. +ग्रेड वेतन 2400 रु.) में सिविलियन मोटर परिवहन चालक श्रेणी-2 के रूप में पांच वर्ष की नियमित सेवा कर चुके हों ।

**टिप्पण:-**

प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम

	<p>आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।</p> <p><u>टिप्पण:-</u> प्रतिनियुक्ति/आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजनों के लिए 1-1-2006/वह तारीख जिसको छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है, से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन/वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी । सिवाए इसके जहां एक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का सामान्य ग्रेड वेतन/वेतनमान सहित एक ग्रेड में विलय किया गया है और जहां यह फायदा केवल उन पदों को विस्तारित होगा जिसके लिए वह ग्रेड वेतन/वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है ।</p>
--	--

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।
(13)	(14)
<p>प्रोन्नति के लिए समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. कमांडेंट या कमांडेंट(कनिष्ठ श्रेणी) (तकनीकी) - अध्यक्ष</li> <li>2. सिविलियन स्टाफ अधिकारी की पंक्ति के दो - सदस्य</li> </ol> <p>अधिकारी</p>	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. सिविलियन मोटर परिवहन चालक (श्रेणी-II)	64* (2011) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1 5200-20200रु.+ ग्रेड वेतन 2400रु.	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(11)	(12)
प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	<p><u>प्रोन्नति:-</u> ऐसे साधारण श्रेणी के सिविलियन मोटर परिवहन चालक जिन्होंने उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की हो और जिन्होंने भारी वाहन चलाने का व्यवसाय परीक्षण उत्तीर्ण किया हो।</p> <p><u>टिप्पण:-</u> जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, की प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी</p>

विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।

**टिप्पण:-** प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजन के लिए 1-1-2006/वह तारीख जिसे छोटे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है, से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा, आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन/वेतन में की गई सेवा समझी जाएगी ।

**प्रतिनियुक्ति:-** केंद्रीय सरकार के अन्य विभागों/कार्यालयों में कार्यरत ऐसे सिविल मोटर परिवहन चालक जो निम्नलिखित पद धारण किए हुए हैं:-

(i) नियमित आधार पर सदृश पद; या

(ii) मूल काडर/विभाग में ऐसे साधारण श्रेणी के सिविलियन मोटर परिवहन चालक जिन्होंने वेतन बैंड (5200-20200+ग्रेड वेतन 1900 रु.) में इस पर नियुक्ति के पश्चात आठ वर्ष की नियमित सेवा कर चुके हों ।

**टिप्पण:-** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से



	<p>अधिक नहीं होगी ।</p> <p><b>टिप्पण:-</b> प्रतिनियुक्ति/आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजनों के लिए 1-1-2006/वह तारीख जिसको छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है, से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन/वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी । सिवाए इसके जहां एक वेतनमान का सामान्य ग्रेड वेतन/वेतनमान सहित एक या एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का एक ग्रेड में विलय किया गया है और जहां यह फायदा केवल उन पदों को विस्तारित होगा जिसके लिए वह ग्रेड वेतन/वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है ।</p>
--	---

(13)	(14)
<p>प्रोन्नति के लिए समूह'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति, निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. कमांडेंट या कमांडेंट(कनिष्ठ श्रेणी) (तकनीकी) - अध्यक्ष</li> <li>2. सिविलियन स्टाफ अधिकारी की पंक्ति के दो - सदस्य</li> </ol> <p>अधिकारी</p>	<p>संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है ।</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. सिविलियन मोटर परिवहन चालक (साधारण श्रेणी)	70* (2011) (प्रारूपण प्रशिक्षण और आरक्षित छुट्टी सहित)  *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसन्धिवीय	वेतन बैंड-1 5200-20200रु. + ग्रेड वेतन 1900रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	18 वर्ष से 27 वर्ष  (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए आयु शिथिल की जाएगी)।  टिप्पण-1: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-

						<p>कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।</p> <p><b>टिप्पण-2:</b> रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली नियुक्ति की दशा में, आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।</p>
--	--	--	--	--	--	---


(8)	(9)	(10)
<p><u>आवश्यक:-</u></p> <p>(क) 10वीं कक्षा उत्तीर्ण ।</p> <p>(ख) भारी तथा हल्के दोनों प्रकार के मोटर यानों के लिए विधि मान्य चालन अनुज्ञप्ति अवश्य होनी चाहिए ।</p> <p>(ग) मोटर यान चलाने का कम से कम दो वर्ष का अनुभव ।</p> <p>(घ) मोटर यंत्र-क्रिया का ज्ञान, (छोटी-मोटी खराबियों को दूर करने में समर्थ होना चाहिए)</p> <p><u>टिप्पण:-</u> अनुभव संबंधी अर्हता/अर्हताएं सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है, जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की</p>	<p>लागू नहीं होता</p>	<p>लागू नहीं होता</p>

संभावना नहीं है ।		
-------------------	--	--

(11)	(12)
सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता

(13)	(14)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के लिए), निम्नलिखित से मिल कर बनेगी :-  1. कमांडेंट या कमांडेंट(कनिष्ठ श्रेणी)(तकनीकी) - अध्यक्ष  2. सिविलियन स्टाफ अधिकारी की पंक्ति के दो अधिकारी - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है

{फा.सं. सीपी/0601/सीएमटीडी/ 1305 /डी(सीजी-आर)/11}

  
( संजय कुमार ओझा )  
निदेशक(नेवी-II)